| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17—12—2024 | **एकल—पीठ**<br>**श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री एस.एन.तिवाडी, अभिभाषक प्रार्थी ।<br>अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित<br><br>**आदेश**<br><br>1. हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—230 के अन्तर्गत विद्वान उपखंड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—7—04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।<br><br>2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किये जाने पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि दावा प्रस्तुत करते समय खसरा नंबर 141 अस्तित्व में ही नहीं था। ऐसे अस्तित्व विहीन खसरे के बाबत् कानूनन वादीगण को कोई वाद कारण हासिल नहीं होता। राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिये जाने से भी वाद खारिज योग्य था। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निस्तारण करते समय वाद पत्र को ही देखना होता है नाकि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो को। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।<br><br>3. अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।<br><br>4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है। खसरा नंबर 141 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बाबत् पत्रावली में मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान राजस्व रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है। खसरा नंबर का हवाला नहीं देने मात्र को वाद पत्र खारिज करने का अधार नहीं बनया जा सकता। वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में वैधानिक स्थिति एवं उनके पक्ष में सृजित होने वाले अधिकारों बाबत् निर्णय मूल वाद में साक्ष्य आदि के बाद होगा। मूल दावा अभी प्रारम्भिक स्तर पर है तथा उसमें उभय पक्ष के हक हकूक एवं अधिकार तय होना बाकी है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट करना होता है कि वादपत्र के **''कौन से अभिकथन''** के कारण दावा **''किस विधि''** से बाधित है। अगर प्रार्थनापत्र में ऐसा खुलासा नहीं किया गया है तो प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाद को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित होता है। उपखंड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–04 में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 1997(3)पेज 1770, आरआरडी 1998 पेज 648 के तथ्य हस्तगत् प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है।<br><br>5. परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, दाखिल दफतर हो ।<br><br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।<br><br>**( मदनलाल नेहरा )**<br>**सदस्य** | |